न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 62/2020
प्रार्थी :–

1 उमेश कलन्त्री पुत्र श्री मुरली मनोहर कलन्त्री
जाति माहेश्वरी कलन्त्री निवासी जोधपुर

तहसील व जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 निर्मला देवी पत्नि श्री मुरली मनोहर
जाति महाजन निवासी जोधपुर

तहसील व जिला जोधपुर ।

2 श्री मान तहसीलदार, तिंवरी
जिला जोधपुर ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी संख्यया 1 की ओर से चुनाराम गर्ग एडवोकेट ।

बाबत पत्थर गड्डी करवाने हेतु
– निर्णय – **दिंनाक – 9.9.2020**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिंवरी के ग्राम किरमसरिया की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 30/64 तरमीम मे खसरा नम्बर 30/68 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का शांन्ति पूर्वक कब्जा काश्त है । प्रार्थी अपने

सहायक कलेक्टर, औसिया

खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की पेमाईश दिंनाक 02.07.2020 को श्री मान तहसीलदार तिवंरी के आदेश से करवाई तथा हल्का पटवारी ने उक्त भूमि की चारो तरफ की सीमाओ के मुटाम व चिन्ह अंकित किये । पूर्व व पश्चिम की सीमाए माठे माप के अनुसार कदीमी कायम है किन्तु उतर व दक्षिण की सीमांए कणा माठ खुर्द बुर्द हो गये है इसलिए माप के अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि की उतरी व दक्षिणी सीमाओ पर पत्थर गड्डी करवाना चाहता है । अप्रार्थी मौके पर विवाद उत्पन्न करके पत्थर गड्डी नही करने दे रहे है । प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मे अप्रार्थी नाजायज तरीके से अतिकमण करने की नीयत रखते है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि के पेमाईश द्वारा बताये कणा माठ पर प्रार्थी को पत्थर गड्डी नही करने देने की धमकीये देते है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी समझाईस भी की लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमादा है । प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतू पत्थर गड्डी करवाना चाहता है । वक्त पेमाईश अप्रार्थी ने विवाद पैदा किया तथा मौके पर शांन्ति भग करने की चेष्ठा की है इसलिए प्रार्थी को पुरा भयं व शका है कि अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज अतिकमण कर सकते है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पत्थर गड्डी करवाना चाहता है ।

प्रार्थीनी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता चुनाराम गर्ग द्वारा वकालता नामा पेश किया गया एवं बताया कि टीम गठीत कर माप कर सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवाई जाती है तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली मे उपलब्ध रेर्ड के अनुसार व अप्रार्थीगण संख्या 1 की सहमति से एंव

सहायक कलेक्टर, बोरून्दा

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि टीम गठीत की जाकर नियमानुसार उक्त भूमि की पत्थर गड्डी करायी जावे तथा शांन्ति व्यवस्था के लिए पुलिस की आवश्यकता हो तो एस.एच.ओ. मथानिया से पुलिस इमदाद प्राप्त करके शीघ्र आदेश की पालना करवाई जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिंनाक 9.9.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,औसिया।

Scanned with CamScanner